प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–02.05.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **12 वाहनों से मु0– 3100 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–14 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 01.05.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 60 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. अमिता बच्चन पुत्र सत्य नारायण नि0 पण्डितपुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–126/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामचन्द्र पुत्र बेचू नि0 चाई पुरवा नारायणपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–186/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रंजीत सोनकर पुत्र बधाई नि0 नागपुर थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–123/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल– 07 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 02.05.2019

नकली अंगूठा बनाकर बैंक खाते से पैसे उड़ाने वाले गैंग का पर्दाफाश, 02 सदस्य गिरफ्तार, लैपटाप व अन्य उपकरण बरामद–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रमन पाण्डेय पुत्र प्रदीप कुमार निवासी इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. जफर अब्बास पुत्र अल्ताफ हुसैन निवासी मो0 खवासपूरा थाना को0 नगर जनपद फैजाबाद।

पंजीकृत अभियोग –

01. मु0अ0सं0–95/19, धारा 419.420.467.468.471 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद लैपटाप।
02. पाली स्टम्पर मशीन (नकली अंगूठा बनाने वाली मशीन)
03. 01 अदद मोबाइल फोन।

संक्षिप्त विवरण–

थाना खरगूपुर क्षेत्र के ग्राम भटपी में आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनाने हेतु लोगो के लिये गये अंगूठा निशानी के माध्यम से बैंकों से पैसा उड़ाने की घटना प्रकाश में आयी थी। ठगो द्वारा माह फरवरी में ग्राम भटपी में एक कैम्प आयोजित किया गया था। जिसके अन्तर्गत ग्रामीण वासियों के आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनाने के लिये उनके निशानी अंगूठा व फिंगर प्रिन्ट लिये गये थे। ठगो द्वारा इन्ही अंगूठा निशानी का इस्तेमाल करते हुए मशीन के माध्यम से नकली रबड का अंगूठा बनाकर उस फर्जी अंगूठा निशानी के माध्यम से ग्रामीण वासियों के खातों से कुल 20,9800 रू0 निकाल लिये थे। जिसके सम्बन्ध में वादी चेतराम पुत्र सुकई निवासी भटपी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ने अभियुक्त रमेश पाण्डेय व उसके गैंग के 6 अन्य सदस्यों के विरूद्ध थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कराया था।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने घटना को गम्भीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष खरगूपुर, स्वाट टीम व साइबर सेल को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया था। आज दिनांक 02.05.2019 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा उक्त गैंग के 02 सदस्यों को गिरफ्तार उनके कब्जे से 01 अदद लैपटाप, पाली स्टम्पर मशीन (नकली अंगूठा बनाने वाली मशीन) व 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना खरगूपुर में विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. थानाध्यक्ष खरगूपुर संतोष कुमार तिवारी।
02. व0उ0नि0 कन्हैया दीक्षित।
03. का0 शशिकपूर यादव।
04. का0 अखिलेश शर्मा।